भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4717

उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2019

सोमवार, 31 आषाढ़, 1941 (शक)

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण बीच में छोड़ना

4717. श्री संजीव कुमार शिंगरीः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधनमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु नामांकन करने वाले प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद ही इसे बीच में छोड़ कर चले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की बेहतर प्रशिक्षण और नियोजन सुनिश्चित करने तथा इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) 12.06.2019 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 के अंतर्गत 57.75 लाख उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है, जिनमें से 52.12 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। उम्मीदवारों के क्रमबद्ध प्रशिक्षण जीवन चक्र (नामांकन-प्रशिक्षण-आकलन-प्रमाणन-तैनाती) के विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण बीच में छोड़ने वाले देखे गए हैं। प्रशिक्षण बीच में छोड़ना मुख्य रूप से उम्मीदवारों की रूचि कम होना, अपेक्षा/आकांक्षा असंतुलन, उचित जुटाव की कमी, आकलन के दौरान उपस्थित न होना या अनुत्तीर्ण हो जाना, जागरूकता की कमी आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से हैं। मंत्रालय ने प्रशिक्षण बीच में छोड़ने वालों में कमी करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक पहलें की हैं और यह उम्मीदवारों को निरंतर परामर्श, कौशल मेलों/कौशल साथी सहित विभिन्न माध्यमों से उचित

जुटाव, युवाओं को बाजार अनुरूप अवसरो से जोड़ने आदि जैसी प्रणाली और प्रक्रियाओं की बेहतर व्यवस्था करके किया गया है।

पीएमकेवीवाई 2016-20 स्कीम को अधिक प्रभावी बनाने और बेहतर प्रशिक्षण सुनिश्चित करने तथा रोजगार आश्वासन के विभिन्न प्रावधानों से संपन्न है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी)/प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) के सभी प्रत्यायन और संबद्धता स्वतंत्र तृतीय पक्ष आकलन एजेंसियों द्वारा किए गए निरीक्षण के साथ ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट (कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्रों का प्रत्यायन) के माध्यम से की जाती है। उन्नत प्रत्यायन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एमएसडीई ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से निरंतर निगरानी प्रक्रिया प्रारंभ की है और प्रत्येक वर्ष अनिवार्य पुन: प्रत्यायन किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) के माध्यम से स्व-लेखा परीक्षा सूचना, कॉल वैधीकरण, औचक निरीक्षण और निगरानी को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षार्थियों की आधार संबद्धता, उम्मीदवारों और प्रशिक्षकों की आधार समर्थित बायोमीट्रिक उपस्थिति, उम्मीदवारों के दोहरेपन को रोकने के लिए एसडीएमएस पोर्टल के जरिए सभी एमआईएस का रख-रखाव आदि जैसे विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप सुनिश्चित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत सभी प्रशिक्षकों का टीओटी प्रमाणित होना अनिवार्य है।

रोजगार परिणामों में सुधार करने के लिए कौशलीकरण ईको सिस्टम में उद्योग की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने विभिन्न उपाय किए हैं। पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत तैनाती दरों में और अधिक सुधार करने के लिए नियोजक नीत कौशल विकास को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत प्रशिक्षित उममीदवारों की तैनाती में वृद्धि करने का प्रावधान है। टीसी/टीपी के पास उम्मीदवारों की उद्योग संबद्धता और तैनाती के लिए समर्पित मार्ग दर्शक-सह-तैनाती प्रकोष्ठ होना अनिवार्य है। टीपी को क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की सहायता से प्रत्येक 6 माह में तैनाती/रोजगार मेले आयोजित करना और स्थानीय उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। स्कीम में टीसी/टीपी को प्रशिक्षित उम्मीदवारों को तैनाती देने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इसके अलावा टीसी को किए जाने वाले प्रशिक्षण भुगतान के अंतिम 20 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति को उम्मीदवारों की तैनाती (वेतन रोजगार अथवा स्व-रोजगार) से संबद्ध किया गया है।

****